

कायोलय, अन्तर्राष्ट्रीय शिक्षा, छत्तीसगढ़ शारांग
शारांग द्वीप प्रदेश गढ़, पारिरार, रायपुर
छत्तीवास्त्र क्रमांक - चार, रायपुर (छ.ग.)

अस्थाई प्रमाण पत्र

पिश्यविद्यालय अधिनियम 1973 द्वारा प्रावधान 26(1) के अन्तर्गत

प्रावधार्य/अध्यक्ष-छत्तीसगढ़ी-अमृष्ट तमाज केन्द्र, बुरनी-बस्ती, सम्पुर्णग.

के द्वारा दिनांक 25/06/2002 से इस प्रिगण को वि.पि. अधिनियम 1993 की धारा (1)(5) के अन्तर्गत (महाविद्यालय)-जगन्नाथनिक्षय अन्तर्गत रायपुर ४७०००५ ने नन्दा अंशासदाय महाविद्यालय में / संक्षिप्त महाविद्यालय में नियन्त्रित अधिनियम की कक्षाएं प्रारंभिक दिन 25 लाते के सिए प्रारंभिक प्रेरित प्रिगण हैं:-

इस्युन्नम / कक्षा / विषय-

सत्र

छात्र संख्या

१. बाणिज्य तंकाय-बी. कॉम - प्रथम 2002-2003

विषय-तभी अनिवार्य विषय एवं
कम्प्यूटर स्प्लीकेशन

64 नोट:- 64 छात्रों
में से 40 छात्रों के
लिए कम्प्यूटर
स्प्लीकेशन की पात्रता
होगी।

उपर आधिकारिक प्रमाण रागि 1 द्वारा प्रारंभिक दिनांक 05/07/2002 द्वारा दिनार करने के उपरान्त यह प्रिगण संचुष्ट है कि पिश्यविद्यालय के प्रावधान 26 (1)(5) पिश्यविद्यालय अधिनियम 1973 के अन्तर्गत पृथक कायोलय के प्रिगण के प्रावधान 24(12) के अन्तर्गत एक धर्य के लिए अस्थाई अनुमति दी जाए तो यह संरक्षा के अधिकार सदैः।

आतः यह प्रिगण यह प्रमाण-पत्र अध्यक्ष/शासी निकाय महाविद्यालय/संकिति को प्रसाग करता है, जिससे कि यह पिश्यविद्यालय अधिनियम की धारा - 26(1)(5) के प्रावधानों के अनुसार इस प्रमाण पत्र के साथ आधेदन करें, आवश्यक शर्त निम्नानुसार देते हैं-

- (1) अन्तर्गत 2002-2003 - द्वारा प्रदेश प्रारम्भ करने के पूर्व शक्तिहीन स्टॉफ की पूरी व्यवस्था हो।
- (2) सम्पादकालीन की सम्पूर्ण सुविधाएं प्रदान प्रारम्भ करने के पूर्व पूर्ण की जायें, जिससे सत्र आरम्भ होने पर सभी सुविधाएं उपलब्ध हो।
- (3) संरक्षा वित्तीय संसाधनों की जानकारी इस कायोलय को 1 माह में उपलब्ध करायें तथा इससे आवश्यक प्रमाणित दस्तावेज इस कायोलय द्वारा उपलब्ध करायें, तो तो तो को अनुमानित वज्र व्यवस्था की जागराती हो दें।

रास्ता में कॉलेज कोड 28 के अनुसार प्राचार्य एवं शिक्षकों की नियुक्ति होना आवश्यक है, यह अनुमति प्राप्ति-पत्र शास्त्रात् है, रास्ता द्वारा समरत् पूरीर्थों की जाने पर इस कार्यालय को गृहीत किया जाये, ताकि अनुसार अनुप्रिक्त प्रमाण पत्र पर विचार कर रखाई करने का निर्णय लिया जाये।

महाविद्यालय, शासन से भविष्य भें कोई अनुदान की पांग नहीं करेगा। महाविद्यालय को नो प्रांफीट नो लॉस के आधार पर बलाया जायेगा। प्रवेश मेरिट के आधार पर दिया जायेगा। गुणानुक्रम में आने वाले आर्थिक रूप से कमज़ोर छात्र-छात्राओं को प्रवेश दिया जाना चाहिये।

शासन, विश्वविद्यालय एवं सक्षम संस्था के निर्देशों एवं समय-समय पर दिये गये निर्देशों का पूर्णतः पातन घरना होगा।

नानक अनुसार शिक्षकों एवं कमेचारियों के वेतन, भवन, गवन, पर्सोनल, उपकरण, प्रायोगिक उपकरणों एवं सामुदायिक संसाधनों की व्यवस्था, रास्ता को खद्य वर्तनी होगी।

अन्य शब्द:- 1. पाठ्यक्रम/कृति/विषय के आधारन के लिये विश्वविद्यालय कॉलेज कोड-28 के अनुसार शहायक प्राप्त्यापकों की नियुक्तिया की जाये।

2. तभी अनिवार्य विषय एवं कम्प्यूटर सप्लीकेशन के लिये रु. 15000/- प्रत्यक्ष हजार मात्र की मुस्तके क्रय की जावे।

हुमाई

अधिकारीक राज्यालय,

उच्च शिक्षा, छोटीसागढ़ शासन,

रायपुर (छ.ग.)

प्राप्ति/ 4093 / अ.उ.शि./अ.शि. प्र./2002
प्राप्तिक्रिया:-

रायपुर, दिनांक 9/10/2002.

1. शासन, छोटीसागढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मन्त्रालय, रायपुर।
2. प्राचार्य/अध्यक्ष—गृहिनी महोर्चिद्यालय, रायपुरछ.ग. दो सूप्राप्त एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. शुल्क संचय-बैंडिट रधिकरण शुल्क-विश्वविद्यालय, रायपुरछ.ग. को सूचनाएँ एवं घोटा 24(10) के अन्तर्गत शोध प्रतियोगिता गंजने हेतु।

टिप्पणी:- यह प्राप्ति पत्र किसी रास्ता को विषय प्राप्ति करने / नई कक्षाएँ प्राप्ति करने के लिए अधिकृत नहीं करता, पाव तक विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 24(10) के अन्तर्गत सम्बद्धता प्रदान नहीं करता।

अधिकारीक राज्यालय,
उच्च शिक्षा, छोटीसागढ़ शासन,
रायपुर (छ.ग.)

**कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा संचालनालय
शासकीय विज्ञान महाविद्यालय परिसर, रायपुर(छ.ग.)**

प्रमांक /आउशि/अशा. शै.प्र/2004,

रायपुर, दिनांक

//अस्थाई प्रमाण-पत्र//

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के प्रावधान 26 (1) के अंतर्गत प्राचार्य /अध्यक्षः छत्तीसगढ़ी झग्वाल समाज केन्द्र झग्वाल भवन पुरानी बस्ती रायपुर के पत्र क्र. 27/2/04 से इस विभाग को विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 26(1)(5) के अन्तर्गत (महाविद्यालय) :-
में सत्र 2004-2005 से नया अशासकीय महाविद्यालय/संचालित महाविद्यालय में निम्नलिखित विषयों की कक्षाएं प्रारंभ किये जाने के लिए प्रस्ताव प्रेषित किया है:-

पाद्यक्रम/कक्षा/विषय	सत्र	छात्र संख्या
१। वाणिज्य संकाय - बी.कॉम. द्वितीय वर्ष	2004-2005	64
विषय- सभी अनिवार्य विषय एवं आतिरिक्त विषय कम्प्यूटर स्पेशन।	सत्र कम्प्यूटर स्पेशन हेतु	40 छात्र

उक्त आवेदन पत्र निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन दिनांक ----- पर विचार करने के लिए उपरांत यह विभाग संतुष्ट है कि विश्व विद्यालय की विद्या परिषद के प्रावधान 26 (1)(5) विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के अन्तर्गत तथा कार्य परिषद को विश्वविद्यालय अधिनियम के प्रावधान 24 (12) के अन्तर्गत एक वर्ष के लिए आरथार्ड अनुमति दी जायें कि वह संस्था के आवेदन पर विचार कर सकें।

अतः यह विभाग यह प्रमाण-पत्र प्राचार्य /अध्यक्ष, शासी निकाय महाविद्यालय /समिति को प्रदान करता है जिससे कि वह विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा-26 (1)(5) के प्रावधानों के अनुसार इस प्रमाण-पत्र के साथ आवेदन करें, आवश्यक शर्तें निम्नानुसार हैं:-

1. सत्र 2004-2005 से प्रवेश प्रारंभ करने के पूर्व शैक्षणिक रटाफ की पूरी व्यवस्था हो।
2. प्रयोगशाला की संपूर्ण सुविधाएं प्रवेश प्रारंभ करने के पूर्व पूर्ण की जायें जिससे सत्र आरंभ होने पर राधी रुविधाएं उपलब्ध हो।
3. संस्था वित्तीय संराधनों की जानकारी इस कार्यालय को 1 माह में उपलब्ध करायें तथा इसको आवश्यक प्रमाणित दस्तावेज इस कार्यालय को उपलब्ध करावें, तीन वर्षों के अनुमानित वजाट प्रस्ताव की जानकारी भी दें।

संस्था में कालेज कोड 28 के अनुसार प्राचार्य एवं शिक्षकों की नियुक्ति होना आवश्यक है यह अनुमति प्रमाण पत्र अरथाई है, संस्था द्वारा समर्त पूर्तियां की जाने पर इस कार्यालय को सूचित किया जायें, ताकि अरथाई अनुमति प्रमाण पत्र पर विचार कर स्थाई करने का निर्णय लिया जायें।

महाविद्यालय, शासन से भविष्य में कोई अनुदान की मांग नहीं करेगा। महाविद्यालय को नो प्रॉफिट नो लॉस के आधार पर चलाया जायेगा। प्रवेश मेरिट के आधार पर दिया जायेगा। गुणानुक्रम में आने वाले आर्थिक रूप रो कमजोर छात्र - छात्राओं को प्रवेश दिया जाना चाहिये।

शासन, विश्वविद्यालय एवं सक्षम संस्था के निर्देशों एवं समय - समय पर दिये गये निर्देशों का पूर्णतः पालन करना होगा।

मानक अनुसार शिक्षकों एवं कर्मचारियों के वेतन, भत्ते, भवन, फर्नीचर, उपकरणों, प्रायोगिक उपकरणों एवं समुचित संसाधनों की व्यवस्था, संस्था को स्वयं करनी होगी।

अन्य शर्तें :-

1. पाठ्यक्रम / कक्षा / विषय के अध्यापन के लिए विश्वविद्यालय कालेज कोड-28 के अनुसार तटायक प्राध्यापकों की नियुक्तियाँ की जावे।
2. सभी अनिवार्य विषय बंदं कम्प्यूटर सफ्टवेरेशन के लिए ₹ 15,000/- की पुस्तकें क्रय की जावे।

"आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित"

उप : संचालक (रायग)

उच्च शिक्षा संचालनालय, रायपुर (छ.ग.)

रायपुर, दिनांक 28/2/05

पृ. क्रमांक 1592 /आउशि/अशास.शै.प्र./2004,
प्रतिलिपि :-

01. सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, रायपुर।
02. कुलसचिव पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर
03. अध्यक्ष उच्च शिक्षा विभाग समाज केन्द्र पुरानी बस्ती रायपुर
04. प्राचार्य, अग्रसेन महाविद्यालय, रायपुर
को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

टिप्पणी :- यह प्रमाण पत्र किसी संस्था को विषय प्रारंभ करने / नई कक्षायें प्रारंभ करने के लिए अधिकृत नहीं करता, जब तक विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 24 (12) के अंतर्गत संबद्धता प्रदान नहीं करता।

उच्च शिक्षा संचालक (रायग)

उच्च शिक्षा संचालनालय, रायपुर (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ शासन

उच्च शिक्षा विभाग

“संचालय”

दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

प्राप्ति / 2174 / 2011 / 38-2

रायपुर, दिनांक १५/०६/२०११

प्रति

अपर संचालक

उच्च शिक्षा संचालनालय

रायपुर

विषय-

वर्ष 2011-12 से अग्रसेन महाविद्यालय, पुरानी बस्ती, रायपुर में नवीन विषय/पाठ्यक्रम/अतिरिक्त अनुभाग प्रारंभ करने की अनुमति विषयक।

लाइन-

आपको ईमेल क्रमांक 416/आउशि/11, दिनांक 26/04/2011 (नस्तीक्रमांक 78/आउशि/अशै0/2011)

अग्रसेन महाविद्यालय, पुरानी बस्ती, रायपुर, छत्तीसगढ़ अशासकीय महाविद्यालय और संस्था (स्थापना एवं विनियमन) अधिनियम 2006 एवं छत्तीसगढ़ अशासकीय महाविद्यालय और संस्था (स्थापना एवं विनियमन) अधिनियम 2007 के प्रावधानों के तहत शैक्षणिक सन्दर्भ 2011-12 से नवीन विषय/पाठ्यक्रम/अतिरिक्त अनुभाग पी० जी० डिस्ट्रिक्ट जम्लिज्म - 20 सीट, बी०बी०ए० - 30 सीट प्रथम वर्ष के साथ प्रारंभ करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान की जाती है :-

1. छत्तीसगढ़ अशासकीय महाविद्यालय और संस्था (स्थापना और विनियमन) नियम 2007 नियम 6 के अनुसार शुल्क जमा किया जावे।
2. कॉलेज कोड प्ररिनियम 28 के तहत शैक्षणिक/अशैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति की जावे।
3. कार्यिक निधि की राशि पूर्ण जमा की जाये।
4. पूर्व संचालित विषय शुल्क की राशि पूर्ण जमा किया जावे।
5. बैंक के साव्यम से समस्त स्टाफ का ब्रेतन भुगतान किया जावे।
6. पत्रकारिता से संबंधित 30 हजार एवं बी०बी०ए० हेतु 15 हजार रुपये की पुस्तकें क्रय की जावे।
7. कंपिडिका 18 की पूर्ति की जावे।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(एन० डी० शौर्यर)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा विभाग
:: मंत्रालय ::
दाउ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

क्रमांक / 1531 / 2012 / 38-2 रायपुर दिनांक / 05 / 2012
प्रति,

अपर संचालक,
उच्च शिक्षा संचालनालय,
रायपुर (छ.ग.)।

विषयः— वर्ष 2012–13 से अग्रसेन महाविद्यालय, पुरानी बस्ती, रायपुर में नवीन पाठ्यक्रम/विषय एवं अतिरिक्त अनुभाग (सीट वृद्धि) प्रारंभ करने की अनुमति विषयक।

संदर्भ:- आपकी टीप क्रमांक 84 /आउशि / 12, दिनांक 25-04-2012.

अग्रसेन महाविद्यालय, पुरानी बस्ती, रायपुर (छ0ग0) को वर्ष 2012-13 से छत्तीसगढ़ अशासकीय महाविद्यालय और संस्था (स्थापना एवं विनियमन) अधिनियम 2006 एवं छत्तीसगढ़ अशासकीय महाविद्यालय और संस्था (स्थापना एवं विनियमन) नियम 2007 के प्रावधानों के तहत शैक्षणिक सत्र 2012-13 से निम्नलिखित विषयों में सीट वृद्धि/अतिरिक्त अनुभाग की अनुमति प्रदान की जाती है:-

क्रमांक	विषय	सीट संख्या
1	डी०सी०ए० (नवीन विषय)	30 सीट
2	बी०कॉम० (सीट वृद्धि)	30 सीट
3	बी०जे०ए०म०सी० (सीट वृद्धि)	20 सीट

उपर्युक्त अनुमति इस शर्त के आधार पर प्रदान की जाती है कि :-

1. छत्तीसगढ़ अशासकीय महाविद्यालय और संस्था (स्थापना एवं विनियमन) अधिनियम 2006 एवं नियम 2007 का पालन करें।
 2. कॉलेज कोड परिनियम 28 के तहत संबंधित विषय में बी.जे.एम.सी. हेतु 02 शिक्षक एवं डी.सी.ए. हेतु 01 शिक्षक / कर्मचारियों की नियुक्ति की जावे।
 3. 10 कम्प्यूटर (साफ्टवेयर, लाइसेंस सहित) क्रय किये जावे।
 4. विषय शुल्क की राशि जमा की जावे।
 5. कंडिका-18 की पूर्ति करें।

निरंतर

छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा विभाग
:: मंत्रालय ::
महानदी भवन, नया रायपुर

क्रमांक एफ 17-52 / 2016 / 38-2
प्रति,

रायपुर, दिनांक /01/2016

आयुक्त,
उच्च शिक्षा संचालनालय,
इंद्रावती भवन, नया रायपुर
(छ0ग0)

विषय :- अग्रसेन महाविद्यालय, जैतूसाव मठ परिसर, पुरानी बस्ती, रायपुर (छ.ग.) में वर्ष 2016-17 से सीट वृद्धि प्रारंभ करने की अनुमति विषयक।

संदर्भ :- आपका जावक क्रमांक 53/आउशि/, दिनांक 11.01.2016

—00—

राज्य शासन, एतद् द्वारा, अग्रसेन महाविद्यालय, जैतूसाव मठ परिसर, पुरानी बस्ती, रायपुर (छ.ग.) में वर्ष 2016-17 से छत्तीसगढ़ अशासकीय महाविद्यालय और संस्था (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2006 तथा छत्तीसगढ़ अशासकीय महाविद्यालय और संस्था (स्थापना एवं विनियमन) नियम, 2007 के प्रावधानों के तहत् निम्नानुसार सीट वृद्धि करने की अनुमति प्रदान की जाती है :—

क्रमांक	कक्षा / विषय	सीट संख्या
01.	एम.एस.डब्ल्यू. (सीट वृद्धि)	05 सीट

2/- उपरोक्त अनुमति निम्न शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है :—

1. छ.ग. अशासकीय महाविद्यालय और संस्था (स्थापना एवं विनियमन) अधिनियम 2006 एवं नियम 2007 पालन किया जावे।
2. परिनियम 28 के अंतर्गत आवश्यक शैक्षणिक/अशैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति की जावे।
3. पाठ्यक्रम से संबंधित विषय में समाजशास्त्र/एम.ए.डब्ल्यू हेतु रु. 5000 की अतिरिक्त पुस्तकें क्रय की जावे।
4. नियमानुसार कार्यिक निधि एवं आवश्यक शुल्क जमा किया जावे।
5. बैंक के माध्यम से वेतन भुगतान किया जावे।
6. कंडिका 18 की पूर्ति की जावे।
7. संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित समस्त सम्बद्धता संबंधी शर्तों को पूर्ण करना महाविद्यालय का दायित्व होगा।
8. समस्त शर्तों को पूर्ण करने के उपरांत उच्च शिक्षा संचालनालय को की गई प्रक्रिया से अनिवार्य रूप से अवगत कराया जाए।
9. शासन द्वारा जारी किया गया आदेश शैक्षणिक सत्र 2016-17 के लिये ही मान्य होगा।

3/- नियम एवं शर्तों का पालन नहीं किये जाने की स्थिति में बिना किसी पूर्व सूचना के प्रदान की गयी अनुमति निरस्त की जा सकेगी।



छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

- ५८ -

(श्रीमती दुर्गा देवांगन)

अवर सचिव

छ0ग0 शासन, उच्च शिक्षा विभाग

निरंतर.....

छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा विभाग
:: मंत्रालय ::
महानदी भवन, नया रायपुर

क्रमांक एफ 17-88 / 2017 / 38-2
प्रति,

नया रायपुर, दिनांक / 02 / 2017

आयुक्त,
उच्च शिक्षा संचालनालय,
इंद्रावती भवन, नया रायपुर
(छ0ग0)

विषय :- अग्रसेन महाविद्यालय, पुरानी बस्ती, रायपुर जिला-रायपुर में वर्ष 2017-18 से नवीन पाठ्यक्रम/संकाय/अतिरिक्त अनुभाग प्रारंभ करने की अनुमति विषयक।

संदर्भ :- आपका जावक क्रमांक 109/आउशि/16,

—00—

राज्य शासन एतद् द्वारा, अग्रसेन महाविद्यालय, पुरानी बस्ती, रायपुर जिला-रायपुर (छ0ग0) को शैक्षणिक सत्र 2017-18 से छत्तीसगढ़ अशासकीय महाविद्यालय और संस्था (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2006 तथा छत्तीसगढ़ अशासकीय महाविद्यालय और संस्था (स्थापना एवं विनियमन) नियम, 2007 के प्रावधानों के तहत निम्नानुसार नवीन विषय/सीट वृद्धि प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान की जाती है :—

क्रमांक	कक्षा / विषय	सीट संख्या
01	पी.जी.डिप्लोमा इन योगा (नवीन पाठ्यक्रम)	30 सीट

2/- उपरोक्त अनुमति निम्न शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है :—

1. छ.ग. अशासकीय महाविद्यालय और संस्था (स्थापना एवं विनियमन) अधिनियम 2006 एवं नियम 2007 पालन किया जाए।
2. परिनियम 28 के अंतर्गत संबंधित विषय में शैक्षणिक/अशैक्षणिक स्टॉफ की नियुक्ति की जाए।
3. पी.जी. डिप्लोमा इन योगा से संबंधित पुस्तकें एवं आवश्यक सामग्री क्य की जाए।
4. नियमानुसार कायिक निधि एवं आवश्यक शुल्क जमा किया जाए।
5. बैंक के माध्यम से वेतन भुगतान किया जाए।
6. कंडिका 18 की पूर्ति की जाए।
7. संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित समस्त संबंद्हता संबंधी शर्तों को पूर्ण करना महाविद्यालय का दायित्व होगा।
8. शासन द्वारा जारी किया गया आदेश शैक्षणिक सत्र 2017-18 के लिये ही मान्य होगा।

3/- नियम एवं शर्तों का पालन नहीं किये जाने की स्थिति में बिना किसी पूर्व सूचना के प्रदान की गयी अनुमति निरस्त की जा सकेगी।

4/- छत्तीसगढ़ अशासकीय महाविद्यालय और संस्था (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2006 की धारा-73 द्वारा माननीय मंत्रीजी से स्वीकृति प्राप्त है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

—५१—
(नलिनी माथुर)
अवर सचिव
छ0ग0 शासन, उच्च शिक्षा विभाग
निरंतर.....

1014
15-3-17

कार्यालय, आयुक्त उच्च शिक्षा संचालनालय
ब्लॉक-सी 30, द्वितीय/तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर (छ.ग.)

क्र. 158/168/आउशि/अ.शै.प्र./2017

नया रायपुर, दिनांक 20/03/2017

प्रति,

प्राचार्य,
अग्रसेन महाविद्यालय, पुरानी बस्ती,
रायपुर (छ.ग.)

विषय:— सत्र 2017–18 से स्नातक स्तर पर बी.बी.ए. अंतिम वर्ष की अनुमति बाबत।

संदर्भ:— आपका पत्र क्र.— 0228-1/2017, दिनांक 28.02.2017

—00—

छ.ग. अशासकीय महाविद्यालय और संस्था (स्थापना एवं विनियमन) अधिनियम 2006 एवं नियम 2007 के प्रावधानों के तहत आपके महाविद्यालय को शैक्षणिक सत्र 2017–18 से स्नातक स्तर पर बी.बी.ए. अंतिम वर्ष की कक्षा प्रारंभ करने की सशर्त अनुमति प्रदान की जाती है :—

1. कंडिका 18 की पूर्ति की जावे।


संयुक्त संचालक (क्षी)
उच्च शिक्षा संचालनालय
नया रायपुर (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा विभाग
::मंत्रालय::
महानदी भवन, नया रायपुर

—00—

क्रमांक एफ 17-88/2017/38-2
प्रति,

नया रायपुर, दिनांक 6/04/2017

प्राचार्य,
अग्रसेन महाविद्यालय
पुरानी बस्ती, रायपुर
(छ0ग0)

विषय:- नवीन पाठ्यक्रम पी.जी.डिप्लोमा इन योगा के स्थान पर पी.जी.डिप्लोमा इन योगा एजूकेशन एंड फिलासफी करने बाबत् ।

संदर्भ:- 1. आपका पत्र क्रमांक 0308-1/2017 दिनांक 08.03.2017
2. आपके द्वारा आयुक्त कार्यालय को प्रेषित पत्र क्रमांक 0531/नवीन पाठ्यक्रम निरीक्षण/2016 दिनांक 31.05.2016

—00—

विषयांतर्गत संदर्भित पत्रों का कृपया अवलोकन करें। उल्लेखनीय है कि आपके द्वारा सत्र 2017-18 में पी.जी.डिप्लोमा इन योगा-30 सीट के साथ नवीन पाठ्यक्रम प्रारंभ करने की अनुमति हेतु पूर्व में आवेदन आयुक्त कार्यालय को प्रस्तुत किया गया है। आयुक्त कार्यालय द्वारा प्रेषित प्रस्ताव दिनांक 19.01.2017 को विभाग में प्राप्त हुआ है, जिसमें परीक्षण समिति की अनुशंसा अनुसार तथा मंत्रीजी से प्राप्त अनुमोदन उपरांत ही आपके महाविद्यालय को पी.जी.डिप्लोमा इन योगा नवीन पाठ्यक्रम-30 सीट प्रारंभ करने के लिये विभागीय पत्र दिनांक 28.02.2017 द्वारा अनुमति प्रदान की गई है।

सूचनार्थ प्रेषित।


(दुर्गा देवी)
अवर सचिव

छ0ग0 शासन, उच्च शिक्षा विभाग

नया रायपुर, दिनांक /04/2017

पृ.क्र. एफ 17-88/2017/38-2

प्रतिलिपि:-

- आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, इंद्रावती भवन, नया रायपुर छ.ग. की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- कुलसचिव, पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर छ.ग. की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

अवर सचिव

छ0ग0 शासन, उच्च शिक्षा विभाग

anju(letter)206

1043
11.4.17